



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पी-2, सैक्टर-ओमेगा-1, ग्रेटर नौएडा।

पत्रांक: वाई.ई.ए./CEO/1045/2022


दिनांक 10-10-2022

कार्यालय आदेश

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित एकल आवासीय भूखण्ड/भवन के अंतरण आवेदन को केवल ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। ऑफलाईन कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा अन्तरण हेतु आवंटी का सत्यापन ऑनलाईन पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से, KYA होने के बाद पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. के आधार पर किया जाएगा। जो आवेदक ऑफलाईन प्रपत्र जमा करने हेतु प्राधिकरण कार्यालय आएंगे, उनकी सुविधा हेतु सम्पत्ति विभाग द्वारा सी.आर.सेल पर समर्पित (dedicated) हैल्प डेस्क बनाया जाएगा जो ऑनलाईन आवेदन करने हेतु सहायता करेंगे। ऑनलाईन अंतरण का निस्तारण सिटीजन चार्टर में दी गयी व्यवस्था के अनुसार समयान्तर्गत सुनिश्चित किया जाएगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम)/(आर)।
- समस्त विशेष कार्याधिकारी को अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
- महाप्रबन्धक (वित्त)/उप महाप्रबन्धक (वित्त)।
- समस्त सहायक महाप्रबन्धक (सम्पत्ति)/प्रबन्धक (सम्पत्ति) को अनुपालनार्थ।
- सहायक महाप्रबन्धक (सिस्टम) को अनुपालनार्थ।
- प्रभारी सी.आर.सेल को अनुपालनार्थ।
- गार्ड फाईल।


(डा० अरुणवीर सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी ofc


मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ofc